बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 228174 पटना, दिनांक 14/04/15

ग्रा.वि.- 14(पू0)पू0-02/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

निबंधित

श्री प्रभु दास (2301/99),
जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सुपौल।
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रूपौली, पूर्णियाँ)

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्णियाँ से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप रूपौली प्रखंड (जिला-पूर्णियाँ) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के ज्ञापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि
495.9	₹ 679383

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 495.9 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अत: आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक- यथोक्त।

(हस्ताक्षर)
(प्रदीप कुमार)
सचिव

dist	block	bdo_name	R_Food	Amt	Present_Add
पूर्णियाँ	अमौर	श्री मयूख	1210.08	1657809.60	
पूर्णियाँ	अमौर	श्री विजय कुमार	1210.08	1657809.60	अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास (मधुबनी)
पूर्णियाँ	अमौर	श्री इन्द्रजीत प्रसाद सिंह (बि0कृ0से0)	1210.08	1657809.60	
पूर्णियाँ	बी0 कोठी	श्री राजेन्द्र प्र0 सिंह	758.08	1038569.60	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर
पूर्णियाँ	बी0 कोठी	श्री देवेन्द्र कु0 दर्द	758.08	1038569.60	जिला मध्याह्न भोजन योजना पदाधिकारी, सिवान
पूर्णियाँ	बी0 कोठी	श्री अजीत कुमार	758.08	1038569.60	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डुमरांव (बक्सर)
पूर्णियाँ	बी0 कोठी	श्री राजेश कुमार	758.08	1038569.60	
पूर्णियाँ	बी0 कोठी	श्री कुन्दन कुमार	758.08	1038569.60	अनुमण्डल पदाधिकारी, मुंगेर
पूर्णियाँ	बैसा	श्री सुधांशु कु0 चौबे	1568.73	2149160.10	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर (पटना)
पूर्णियाँ	बैसा	श्री बदरूद्दी अहमद	1568.73	2149160.10	
पूर्णियाँ	बैसा	श्री विजय कुमार	1568.73	2149160.10	अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास (मधुबनी)
पूर्णियाँ	बैसा	श्री स्वयंभू प्रिय	1568.73	2149160.10	उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
पूर्णियाँ	बैसा	श्री अरविन्द कुमार (बि0कृ0से0)	1568.73	2149160.10	
पूर्णियाँ	बैसा	श्री आलोक कुमार (2512/99)	1568.73	2149160.10	आप्त सचिव, मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना
पूर्णियाँ	बायसी	श्री घनश्याम झा	575.32	788188.4	
पूर्णियाँ	बायसी	श्री संजय कु0 भगत	575.32	788188.4	
पूर्णियाँ	बायसी	श्री शब्बीर अहमद	575.32	788188.4	
पूर्णियाँ	बायसी	श्री राजीव रंजन प्रभाकर (905)	575.32	788188.4	वरीय उप समाहर्त्ता, गया
पूर्णियाँ	बायसी	श्री विजय कु0 पांडेय (42बी./90)	575.32	788188.4	जिला श्रम पदाधिकारी, औरंगाबाद
पूर्णियाँ	बायसी	श्री मनोज कु0 झा	575.32	788188.4	निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया
पूर्णियाँ	बनमनखी	श्री मुकुल कुमार	11756.14	16105911.8	वरीय उप समाहर्त्ता, पटना
पूर्णियाँ	बनमनखी	श्री राजेन्द्र प्र0 सिंह	11756.14	16105911.8	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर
पूर्णियाँ	बनमनखी	श्री सुभाष चंद्र वर्मा (1033/99)	11756.14	16105911.8	
पूर्णियाँ	भवानीपुर	श्री युगल पंडित	2987.9	4093423	
पूर्णियाँ	भवानीपुर	श्री शीलाजीत सिंह	2987.9	4093423	
पूर्णियाँ	भवानीपुर	श्री राजेश झा	2987.9	4093423	
पूर्णियाँ	भवानीपुर	श्री ओम प्रकाश कुमार (बि0कृ0से0)	2987.9	4093423	
पूर्णियाँ	डगरूआ	मो0 कामिल अख्तर (833)	788.83	1080697.1	वरीय उप समाहर्त्ता, शेखपुरा
पूर्णियाँ	डगरूआ	श्री राजीव रंजन प्रभाकर (905)	788.83	1080697.1	वरीय उप समाहर्त्ता, गया
पूर्णियाँ	डगरूआ	श्री मनोज कु0 झा (2308/99)	788.83	1080697.1	निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अररिया
पूर्णियाँ	जलालगढ़	श्री अरूण कुमार	1097.26	1503246.2	वरीय उप समाहर्त्ता, सुपौल
पूर्णियाँ	जलालगढ़	श्री राजदेव सिंह	1097.26	1503246.2	
पूर्णियाँ	जलालगढ़	श्री ऋषिदेव झा (1822/99)	1097.26	1503246.2	निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, शेखपुरा
पूर्णियाँ	जलालगढ़	श्री विमल कु0 मंडल (787)	1097.26	1503246.2	अनुमण्डल पदाधिकारी, सुपौल
पूर्णियाँ	के0 नगर	श्री बिन्देश्वरी मंडल	1013.76	1388851.2	
पूर्णियाँ	के0 नगर	श्री विष्णुदेव प्रसाद	1013.76	1388851.2	
पूर्णियाँ	के0 नगर	श्री संजय कुमार (883)	1013.76	1388851.2	अनुमण्डल पदाधिकारी, अररिया
पूर्णियाँ	के0 नगर	श्री श्रीधर चिरूवोल	1013.76	1388851.2	

पूर्णियाँ	के0 नगर	श्री संजय कुमार	1013.76	1388851.2	अनुमण्डल पदाधिकारी, अररिया
पूर्णियाँ	के0 नगर	श्री अभय कुमार सिंह (2366/99, 866)	1013.76	1388851.2	वरीय उप समाहर्त्ता, नालन्दा
पूर्णियाँ	के0 नगर	श्री अरविन्द कुमार (2194/99)	1013.76	1388851.2	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोपालगंज
पूर्णियाँ	कसबा	श्री राजदेव सिंह	500.78	686068.6	
पूर्णियाँ	कसबा	श्री मनोज कुमार (790)	500.78	686068.6	अनुमण्डल पदाधिकारी, बनमनखी (पूर्णियाँ)
पूर्णियाँ	कसबा	श्री विमल कु0 मंडल (2224/99, 787)	500.78	686068.6	अनुमण्डल पदाधिकारी, सुपौल
पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	श्री विष्णु प्रसाद	1867.45	2558406.5	
पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	श्री संजय कुमार	1867.45	2558406.5	
पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	श्री राजीव राठौर (42बी0/14)	1867.45	2558406.5	प्रशासी पदाधिकारी, नगर विमानन शाखा, मंत्रिमण्डल सचिवालय, बिहार, पटना
पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	श्री राय निरंजन चौधरी (828/08)	1867.45	2558406.5	वरीय उप समाहर्त्ता, जमुई
पूर्णियाँ	पूर्णियाँ पूर्व	श्री राजेश गुप्ता (2378/99)	1867.45	2558406.5	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार , पटना
पूर्णियाँ	रूपौली	श्री नवीन कुमार	495.9	679383	अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर (मुंगेर)
पूर्णियाँ	रूपौली	श्री बी0एन0 सिंह	495.9	679383	
पूर्णियाँ	रूपौली	श्री विवेकानन्द झा	495.9	679383	उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
पूर्णियाँ	रूपौली	श्री प्रभु दास (2301/99)	495.9	679383	जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सुपौल
पूर्णियाँ	श्रीनगर	श्री ब्रज किशोर ठाकुर	2120.83	2905537.1	
पूर्णियाँ	श्रीनगर	श्री राजेश कुमार	2120.83	2905537.1	
पूर्णियाँ	श्रीनगर	श्री विमल कु0 मंडल (787)	2120.83	2905537.1	अनुमण्डल पदाधिकारी, सुपौल
पूर्णियाँ	श्रीनगर	श्री राजेश परिमल	2120.83	2905537.1	प्रशासी पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार
पूर्णियाँ	धमदाहा	श्री अजय कु0 ठाकुर (1702/99)	4722.09	6469263.30	आप्त सचिव, मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना

[illegible], New Delhi
Dated 27th December, 2005

To

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

SUBJECT : *Transition From the SGRY and the NFFWP towards the implementation of NREGA in Districts identified.*

Sir/Madam,

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) will merge in these identified Districts with the Employment Guarantee Scheme, once NREGA comes into force. In this regard, following decisions on key issues have been taken by the Government of India in order to facilitate smooth transition from the NFFWP and the SGRY towards NREGA in the identified Districts that require your immediate attention.

1. If the NREGA is notified in an area in the current financial year, the process of demand registration will start according to the Act and the Guidelines made. The demand for employment would be met from the ongoing SGRY and the NFFWP works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. But the work allotted to those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 3 of the Act allows this by stipulating that until the State Government notifies its EGS, the Annual Action Plan or Perspective Plan of SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP district identified under NREGA, additional funds for taking up works on NFFWP pattern are being released separately. Rs.25.00 lakh for every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

Contd...2/-

आयुक्त एवं सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
[illegible]
आवती संख्या ....
दिनांक ....

64

under NREGA and SGRY NFFWP [illegible] more than 100 days of employment which is permissible under the Act.

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authrization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

6. The implementation of works under the SGRY earmarks 50% for Gram Panchayat. This is in concurrence with the mandate under the NREGA. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the line departments, and other Panchayat bodies. Thus, under SGRY, the allocation of 20% to District Panchayat and 30% to Intermediate Panchayat also meets the spirit of the Act to accord priority to Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP implementation might involve a number of agencies. In the transition period in this financial year, if it 50% of works have not been sanctioned for execution by the Gram Panchayat by them, the districts may be instructed that if new works are started this year under the NFFWP, priority may be given to the Gram Panchayats.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the EGS.

8. In light of the above, you are requested to address these issues and issue necessary instructions to the all concerned including the Collectors and other implementing authorities to initiate prompt action accordingly. Action taken in this regard by the State Government may also be intimated to this Ministry.

Yours faithfully,

(Amita Sharma)
Joint Secretary

बिहार सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक ________/ग्रा0वि0पटना, दिनांक-
8(विविध)40/04

प्रतिलिपि, सभी उप विकास आयुक्तों को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।